

आज दिनांक 21.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 313/20 धारा 376 भा0द0वि0 मे वाँछित अभियुक्त नाम पता कमरुलहुदा पुत्र आलमगीर निवासी सोनहन थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 21.02.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, हे0का0 मो0 आरिफ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता मोहम्मद हुसैन पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- प्रभारी चौकी दुर्गजोत उ0नि0 श्री प्रमोद यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3302 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सरैया से इवेन्ट संख्या 08613 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा वादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ० जनार्दन प्रसाद, हो०चा० गौरीश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनो से 67000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनो से 67000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।